

## कार्यालय-ज्ञाप

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के दिशा-निर्देशों के क्रम में एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ से जुड़े संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए डा० यू०के०मिश्रा (सेवानिवृत्त निदेशक, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, लखनऊ) को 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

सुनवाई का संचालन करने के लिए लोकपाल को एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त यात्रा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

प्रोफेसर (डा०) अनु चन्द्रा  
कुलसचिव  
एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Registrar  
Era University, Lucknow